

अति-आवश्यक

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ-27(71)ग्रावि/अनु-5/सरपंच ज्ञापन/2015-16 जयपुर, दिनांक 7 नवम्बर, 2015


स्थायी आदेश संख्या- 22 / 2015

विभागीय परिपत्र संख्या- 17/2015 के द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015, भाग-1 जारी की गई थी। इस क्रम में बिन्दु संख्या 11.1 एवं तालिका-1 शिड्यूल ऑफ पॉवर्स प्रशासनिक स्वीकृति (संशोधित सहित) (पृष्ठ संख्या 221) में वर्णित प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करने के निर्देशों में निम्नानुसार सशोधन किया जाता है :-

1. निर्देश संख्या 11.1 स्वामित्व आवश्यकता एवं प्रक्रिया में परिसम्पत्तियों की श्रेणियों में से सड़क निर्माण कार्यों हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्तों के लिए भूमि पर सम्बन्धित कास्तकारों से सहमति, शपथ-पत्र पर लेने के उपरान्त कार्य सम्पादन किया जा सकेगा।
2. तालिका -1 शिड्यूल ऑफ पावर- प्रशासनिक स्वीकृति (संशोधित सहित)

क्र. सं.	कार्य/आईटम का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी/समिति जिसकी शक्तियां निहित है	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपों में)		शर्तें/टिप्पणियां
			नवीन स्वीकृति	रखरखाव/मरम्मत	
1	2	3	4	5	6
1	निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (मूल) (विधायक व सांसद कोष के अतिरिक्त)	ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि)	5.00 लाख तक	0.50 लाख	शर्तें/टिप्पणियां क्र.सं. 1 से 16 से यथावत लागू होंगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि